



बतार पत्र

RESH

RESH

विक्रम पत्र

- > विक्रम मूल्य 5,00,000/- रुपये
- > विक्रि पत्र किराए पर देकर, जनपदीय या लिक भाग पर स्थित नहीं है।
- > विक्रि पत्र पर अन्य प्रयोजन की दर 50,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक दर पर स्टाप्स अदा किया जा रहा है।
- > कुल देय स्टाप्स अंकन 50,000/- रुपये
- > स्टाप्स अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।

इस कि मिसर्स एपेटोम टेक्नोपार्क प्रा० लि० 225-ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट फेज दूसरी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर श्री एम० गुप्ता पुत्र श्री ब्यामसुन्दर गुप्ता निवासी 230-असीमा एजेंसी वेस्टर्न कचहरी रोड मेरठ साहू विक्रता/प्रयत्न पत्र

पत्र

१०८६
 १०८७
 १०८८
 १०८९
 १०९०
 १०९१
 १०९२
 १०९३
 १०९४
 १०९५
 १०९६
 १०९७
 १०९८
 १०९९
 ११००

पैत्राङ्ग ३४०० = ९५

[Handwritten notes and scribbles]

१. नाम
 २. पता
 ३. जन्म तिथि
 ४. शिक्षा
 ५. व्यवसाय
 ६. धर्म
 ७. जाति
 ८. लिंग
 ९. उपाधि
 १०. निवास स्थान

कलकत्ता में है। विधि पूर्णतः तैयार है।

47312/61



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मिसस बेल्वा कोलोनाइडर्स लि 1108-इन्द्रप्रकाश-मिशन
21-बारहखम्बा रोड नई दिल्ली द्वारा मुख्य प्रबन्धक राजेन्द्र शर्मा पुत्र
एन सीपीओ शर्मा केमराफ 1108 इन्द्रप्रकाशमिलियन 21-बारहखम्बा
रोड, नई दिल्ली कता/द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि संक्रमणीय भूमिशील भूमि खाला संख्या
220 के खसरा नम्बर 1888 रकबा 0.0250 हे० लगान 125 रुपये खाला
सम्पूर्ण स्थित ग्राम जाटोली परगना दोराला मंडलील सत्तवा जिला मेरठ
प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वामित्व करने एवं अधिकार की है जो प्रथम पक्ष ने
द्वारा बैनामा दिनांक 22.12.2007 को ऊलाश पुत्र दायाशम निवासी जाटोली
से कय की हुई है जिसको रजिस्टरी कार्यालय उप निबन्धक सरधमा से
एडी० बही संख्या 1 जिल्द 1610 के पृष्ठ 121/170 में कम संख्या 13040
पर दिनांक 22.12.2007 ई० रज रजिस्टर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम
पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के करण एवं
भार आदि से छत्रपण है तथा वैधानिक नुदिया एवं बोर्डा से मुक्त एवं
रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि की विक्रय
तथा हस्तांतरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त

है। कोई वैधानिक वृद्धि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विषय अधिकारों से बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बंधक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई कारतकार शिकमी या साजो, जेली व काराबिज नहीं है तथा सीके पर प्रथम पक्ष की कारत मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्ज्यूजेशन या रिकयूजेशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विद्यमान नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और इसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (6) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त धणस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 5,00,000/- पांच लाख रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की संभावना समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना अति समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं सलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को सबसे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वतन्त्र एवं अधिकार के चाहे उत्तका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर सस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दृष्टि में अंकन 5,00,000/- पांच लाख रुपये कि आधे प्रिस के अंकन 2,50,000/- दो लाख सचास हजार रुपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलब्ध में इतने गैसर्स डेप्टा कोलोनार्जर्स सिव 1109-इन्ड्रप्रकारा मिलिबप 21-नारदखम्बा रोड नई दिल्ली द्वारा मुख्य प्रबन्धक राजेन शर्मा पुत्र स्व० सोपनी० शर्मा केयस्वाफ 1108 इन्ड्रप्रकारा मिलिबप 21-नारदखम्बा रोड नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और इस अला और समस्त विक्रय मूल्य द्वारा चेक नम्बर 479987 दिनांकित 13.02.2008 एक्सस बैंक लि० नई दिल्ली द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उत्तको व्यक्तितगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वतन्त्र विक्रित भूमि से

 